त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम

बहुद्देश्यीय तथा सिंचाई––दोनों प्रकार की बहुत सी नदी घाटी परियोजनाएं मुख्यतः राज्य सरकारों को पेश आ रही वित्तीय कठिनाइयों के कारण एक योजना से दूसरी योजना में आगे लाई गईं। भारत सरकार ने चालू सिंचाई/बहुद्देश्यीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए, जिनके सम्बन्ध में काफी प्रगति की गई है और जो राज्य सरकारों की संसाधन क्षमता से परे हैं तथा ऐसी वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए जो कि निर्माण की उन्नत अवस्था में हैं और जो अगले चार कृषि मौसमों में सिंचाई लाभ प्रदान कर सकेंगी, 1996–97 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शुरू किया था।

इस कार्यक्रम के अधीन निधियां राज्यों को केन्द्रीय ऋण सहायता के रूप में प्रदान की जाती हैं। ऐसी वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की पूर्ति के लिए, जो कि पूर्ण सहायता से एक वर्ष (दो कार्यकारी मौसम) के भीतर पूरी की जा सकती हैं एक फास्ट ट्रैक कार्यक्रम फरवरी, 2002 में शुरू किया गया था। ऐसे राज्यों को सुधारक राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया था जिनकी जल दरें पूर्ण प्रचालन तथा अनुरक्षण लागत की वसूली की दृष्टि से युक्तियुक्त बना दी गई थीं और ऐसे राज्य केन्द्रीय ऋण सहायता का लाभ उठाने के लिए बेहतर अनुपात के पात्र हो गए थे।

1.4.2004 से फास्ट ट्रैक कार्यक्रम के अधीन परियोजनाओं के लिए सामान्य श्रेणी के राज्यों के मामले में 70% ऋण तथा 30% अनुदान, विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में 10% ऋण तथा 90% अनुदान सहित एआईबीपी में अनुदान घटक जोड़ दिया गया है। जो परियोजनाएं फास्ट ट्रैक कार्यक्रम के अधीन नहीं आती हैं उनके मामले में ऋण को अनुदान मानदण्ड के रूप में बदले जाने का प्रोत्साहन दिया जाएगा बशर्ते कि परियोजनाएं समय पर पूरी कर ली जाती हैं। फास्ट ट्रैक परियोजनाओं की पूर्ति के लिए समय–सीमा तीन कार्यकारी मौसमों तक और सामान्य वित्तपोषण के अधीन आने वाली परियोजनाओं के लिए 6–8 कार्यकारी मौसमों तक बढ़ा दी गई है।

अभी तक इस कार्यक्रम के अधीन 184 वृहद/मध्यम तथा 4169 सतही लघु सिंचाई स्कीमों के लिए सीएलए के रूप में 17357.57 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है। कार्यक्रम के शुरू होने के बाद से 37 वृहद/मध्यम परियोजनाएं पूरी कर ली गईं हैं और मार्च, 2004 तक एआईबीपी के अधीन 2657.58 हजार हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता उत्पन्न कर ली गई है। एआईबीपी के अधीन सतही लघु सिंचाई स्कीमों के माध्यम से फरवरी, 2005 तक 107.95 हजार हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता बना ली गई है।

1996–97 से 2004–2005 तक एआईबीपी के अधीन राज्यों को प्रदान की गई केन्द्रीय ऋण सहायता––योजना–वार

क्रम संख्या	राज्य	प्रदान की गई सीएलए		योग
			2004–05	

		नौवीं योजना तक	2002—03	2003—04	ऋण	अनुदान	योग	
1.	आन्ध्र प्रदेश	630.615	33.186	205.530	61.2829	26.2641	87.5470	956.8780
2.	अरुणाचल प्रदेश	30.000	1.500	20.000	1.0000	9.0000	10.0000	61.5000
3.	असम	84.718	16.274	19.2015	1.6930	15.2370	16.9300	137.1235
4.	बिहार	339.725	14.481	74.644	26.0505	11.1645	37.2150	466.0650
5.	छत्तीसगढ़	86.650	104.000	74.630	2.0475	0.8775	2.9250	268.2050
6.	गोवा	128.400	0.000	2.000	0.4550	0.1950	0.6500	131.0500
7.	गुजरात	1971.733	1000.330	650.359	484.7500	45.7500	530.5000	4152.9220
8.	हरियाणा	44.500	18.000	7.735	7.7945	3.3405	11.1350	81.3700
9.	हिमाचल प्रदेश	43.806	8.150	14.692	0.3690	3.3210	3.6900	70.3380
10.	जम्मू तथा काश्मीर	27.510	34.999	21.545	1.2744	11.4701	12.7445	96.7985
11.	झारखण्ड	51.410	9.670	1.833	14.8995	6.3855	21.2850	84.1980
12.	कर्नाटक	1066.890	620.850	266.478	314.7921	81.5031	396.2952	2350.5132

13.	केरल	52.425	5.665	31.000	34.6080	14.8320	49.4400	138.5300
14.	मध्य प्रदेश	716.563	220.000	568.440	361.6907	155.0103	516.7010	2021.7040
15.	महाराष्ट्र	305.855	133.134	164.395	370.5002	158.7858	529.2860	1132.6700
16.	मणिपुर	73.750	19.500	15.500	1.3000	11.7000	13.0000	121.7500
17.	मेघालय	12.676	1.500	1.088	0.1744	1.5694	1.7438	17.0078
18.	मिजोरम	4.866	0.750	9.300	0.5000	4.5000	5.0000	19.9160
19.	नागालैण्ड	12.730	2.659	8.000	0.4000	3.6000	4.0000	27.3890
20.	उड़ीसा	563.995	179.570	154.685	16.9561	7.2669	24.2230	922.4730
21.	पंजाब	378.810	36.660	0.000			0.0000	415.4700
22.	राजस्थान	466.172	174.385	499.837	247.0328	105.8712	352.9040	1493.2980
23.	त्रिपुरा	82.447	13.395	13.377	1.1000	9.9000	11.0000	120.2190
24.	तमिलनाडु	20.000	0.000	0.000			0.0000	20.0000
25.	उत्तर प्रदेश	1154.590	359.000	274.785	123.1440	52.7760	175.9200	1964.2950

26.	उत्तरांचल	0.000	25.163	25.553	3.8992	35.0925	38.9917	89.7072
27.	पश्चिम बंगाल	125.433	28.133	3.144	9.4227	4.0383	13.4610	170.1710
28.	सिक्किम	3.760	0.750	0.750	0.0750	0.6750	0.7500	6.0100
	योग	**8480.029**	**3061.704**	**3128.501**	**2087.212**	**780.126**	**2867.337**	**17537.571**

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम

1. मुख्यतः राज्य सरकारों के सामने आ रही वित्तीय बाधाओं के कारण बहुत–सी बहुद्देश्यीय और सिंचाई नदी–घाटी परियोजनाओं––दोनों को योजना दर योजना आगे लाया गया है। इसके परिणामस्वरूप इन परियोजनाओं पर पहले ही बहुत बड़ी मात्रा में निवेश करने के बावजूद भी इनसे देश को वांछित लाभ प्राप्त नहीं हो सका है। आठवीं योजना के अंत तक मार्च, 1997 के अंत तक देश में 171 वृहद, 259 मध्यम और 72 ईआरएम चालू सिंचाई परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में थीं जिनकी बढ़ी हुई लागत 75,690 करोड़ रुपए है। यह केन्द्र सरकार के लिए गंभीर चिंता का विषय था और इनमें से कुछ ऐसी परियोजनाओं, जो पूरा होने के उन्नत चरण में थीं, को शीघ्र पूरा करने के लिए उपाय करने आवश्यक हो गये थे।
2. इसके ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ऐसी चालू सिंचाई/बहुद्देश्यीय परियोजनाओं, जिनके कार्य में महत्वूपर्ण प्रगति हुई है और जो राज्य सरकारों की संसाधन क्षमता से बाहर हैं और अन्य वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं, जो निर्माण की अंतिम अवस्था में हैं और जिनसे अगले चार कृषि मौसमों में सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकता है, के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए वर्ष 1996–97 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) प्रारंभ किया था।
3. कार्यक्रम के अधीन केवल उन्हीं परियोजनाओं पर विचार किया जाता है जिन्हें योजना आयोग की निवेश स्वीकृति मिल चुकी हो। जिन परियोजनाओं को नाबार्ड आदि जैसी घरेलू एजेंसियों से पहले ही सहायता मिल रही है, वे इस कार्यक्रम के अधीन सहायता के लिए पात्र नहीं हैं। तथापि ऐसी परियोजनाओं के जो घटक नाबार्ड द्वारा ऐसी सहायता के अधीन नहीं आते हैं, उन्हें एआईबीपी के अधीन शामिल करने पर विचार किया जाता है। वृहद परियोजनाओं को उनकी चरणबद्ध पूर्ति के लिए सहायता दी जाती है ताकि अपेक्षतया कम निवेश से लाभ जल्दी प्राप्त होने शुरू हो जाएं।
4. जनजातीय/सूखा–प्रवण क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाओं को वरीयता दी जाती है बशर्ते कि वे अन्यथा पात्र हों। अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं को भी प्राथमिकता दी जाती है और सभी पक्षकार राज्य कार्यक्रम के अधीन अलग–अलग सहायता पाने के पात्र हैं। उड़ीसा के कालाहाण्डी, बोलंगीर और कोरापुट जैसे चिर–सूखाप्रवण जिलों और विशेष श्रेणी राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों की लघु सिंचाई स्कीमें

एआईबीपी के अधीन सहायता के लिए पात्र नहीं हैं। यहां तक कि विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में भी ग्रामीण आधारिक तंत्र विकास निधि (आरआईडीएफ) के अधीन नाबार्ड से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली लघु सिंचाई स्कीमें एआईबीपी के अधीन सीएलए प्राप्त नहीं करती।

5. राज्यों को केन्द्रीय ऋण सहायता (सीएलए) वित्त मंत्रालय द्वारा समय–समय पर ब्याज की निर्धारित दर पर ऋण के रूप में प्रदान की जाती है। कार्यक्रम के अधीन यह ऋण बकाया राशि पर ब्याज सहित आगामी वर्ष से शुरू करके 20 एकसमान किश्तों में लौटाया जाना होता है। तथापि 50% ऋण को 5 वर्ष का प्रारम्भिक माफी–अवधि का लाभ मिलता है जिसके बाद ऋण की वापसी 15 एकसमान किश्तों में की जानी होती है। एक वर्ष के भीतर वपिस किया जाने वाला ऋण वस्तुतः प्रतिवर्ष जून से शुरू होकर 10 एकसमान किश्तों में वसूल कर लिया जाता है। एआईबीपी के अधीन केन्द्रीय ऋण सहायता (सीएलए) वर्ष–दर–वर्ष आधार पर ऐसी चालू सिंचाई परियोजनाओं के लिए प्रदान की जाती है जो कि एआईबीपी मानदण्डों की पूर्ति करती हैं और जिनका प्रस्ताव राज्यों द्वारा निधियों की उपलब्धता तथा राज्यों द्वारा इन परियोजनाओं के लिए अपनी वार्षिक योजना में बजट परिव्यय की व्यवस्था कर लिए जाने की शर्त के अध्यधीन किया जाता है। राज्यों को सीएलए अग्रिम रूप में 50–50% की दो किश्तों में प्रदान की जाती है। राज्यों के अपने हिस्से सहित उन्हें पहले ही प्रदान की गई सीएलए खर्च कर लिए जाने के बाद दूसरी किश्त प्रदान की जाती है।

6. वित्तपोषण पद्धति को और आगे लचीला बनाने और साथ ही विशेष श्रेणी राज्यों की सतही लघु सिंचाई स्कीमों (नई और चालू––दोनों प्रकार की) तथा उड़ीसा के केबीके जिलों को शामिल करने के लिए भारत सरकार ने एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। अब राज्यों को निधियां 1:1 की बजाय 2:1 के अनुपात में और विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में मौजूदा 2:1 की बजाय 3:1 के अनुपात में प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा उड़ीसा के केबीके सूखा–प्रवण जिलों में यहां तक कि निर्माण की प्रारम्भिक स्थिति में भी वृहद/मध्यम सिंचाई स्कीमें अब कार्यक्रम के अधीन शामिल की जाएंगी। तथापि एआईबीपी के अधीन स्थापना लागत पूर्ति के लिए कोई सीएलए उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

7. एआईबीपी के अधीन शामिल परियेजनाओं की केन्द्रीय जल आयोग द्वारा सारे देश में फैले उसके क्षेत्रीय कार्यालायों की सहायता से मानीटरी की जाती है और उनकी रिपोर्टों के आधार पर निधियां प्रदान की जाती हैं। निधियां जल संसाधन मंत्रालय की सिफारिशों पर वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती हैं।

8. 1996–97 में 18 राज्यों में 52 परियोजनाओं के लिए 500.00 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई।

9. वर्ष 1997–98 में वित्त मंत्रालय ने 18 राज्यों में 73 परियोजनाओं के लिए 952.19 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की।

10. वर्ष 1998–99 में 14 राज्यों में 78 परियोजनाओं के लिए 1119.18 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई।

11. 1999–2000 में 22 राज्यों में 88 वृहद तथा मध्यम परियोजनाओं तथा 1750 सतही लघु सिंचाई स्कीमों के लिए सीएलए के रूप में 1450.4768 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई।

12. 2000–2001 में एआईबीपी के लिए 1712 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान था जिसमें से एआईबीपी के अधीन विभिन्न राज्यों में 105 वृहद/मध्यम और 1629 एमआई स्कीमों (437 नई तथा 1192 चालू) के लिए सीएलए के रूप में 1856.20 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई।

13. 2001–2002 के दौरान एआईबीपी के अधीन सीएलए प्रदान करने के लिए 2000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है जिसमें से अभी कुछ ही समय पहले तक एआईबीपी के अधीन विभिन्न राज्यों में 89 वृहद/मध्यम तथा 916 लघु परियोजनाओं के लिए 2601.981 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है।

14. यह ध्यातव्य है कि 1996–97 में इस कार्यक्रम की शुरूआत के बाद से 23 राजयें में 140 वृहद/मध्यम परियोजनाओं के लिए लगभग 5855.041 करोड़ रुपए की राशि तथा विशेष श्रेणी राज्यों में 2187 सतही एमआई स्कीमों के लिए 123.0068 करोड़ रुपए की राशि खर्च करके, सरकार वृहद/मध्यम स्कीमों के माध्यम से 3/2000 तक 786 हजार हैक्टेयर की अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न करने में तेजी ला सकी है। इस कार्यक्रम की सहायता से 20 वृहद/मध्यम परियोजनाएं पहले ही पूरी की जा चुकी हैं।

15. यह भी उल्लेखनीय है कि परियोजनाओं की अन्तिम सिंचाई क्षमता का लक्ष्य 14,042 हजार हैक्टेयर रखा गया है जिसमें से लगभग 5469 हजार हैक्टेयर क्षमता इन परियोजनाओं को एआईबीपी में शामिल किए जाने से पहले उत्पन्न कर ली गई थी। मार्च, 2000 को बकाया 7787 हजार हैक्टेयर क्षमता पूरी करने के लिए लगभग 38,300 करोड़ रुपए की राशि (कुल अद्यतन अनुमानित लागत जो कि लगभग 74,535 करोड़ रुपए है और 3/2000 तक के कुल संभावित खर्च जो कि लगभग 36,235 करोड़ रुपए है––इन दोनों के बीच का अन्तर) की जरूरत होगी।

16. 1996–97 से लेकर अभी तक लिंक के अन्तर्गत परियोजना–वार केन्द्रीय ऋण सहायता नीचे दिये गये अनुसार उपलब्ध है:

1.	आन्ध्र प्रदेश	14.	मध्य प्रदेश
2.	अरुणाचल प्रदेश	15.	महाराष्ट्र
3.	असम	16.	मेघालय
4.	बिहार	17.	मिजोरम
5.	छत्तीसगढ़	18.	मणिपुर
6.	गोवा	19.	नागालैण्ड
7.	गुजरात	20.	उड़ीसा
8.	हरियाणा	21.	पंजाब
9.	हिमाचल प्रदेश	22.	राजस्थान
10.	जम्मू तथा काश्मीर	23.	त्रिपुरा
11.	झारखण्ड	24.	उत्तर प्रदेश
12.	कर्नाटक	25.	पश्चिम बंगाल
13.	केरल	26.	सिक्किम

- **आन्ध्र प्रदेश**

1996-97 के दौरान श्रीराम सागर अवस्था I तथा चेरुयू सिंचाई परियोजना के लिए 35.25 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। 1997–98 के दौरान जुराला और सोमशिला नामक दो और परियोजनाएं शामिल कर ली गईं और इन चार परियोजनाओं के लिए 74.00 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। 1998–99 में नागार्जुन सागर और मधुवलासा नामक दो और परियोजनाएं जोड़ दी गईं और इन छः परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता (सीएलए) के रूप में 79.67 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई।

वर्ष 1999–2000 में छः परियोजनाओं में से इन पांच परियोजनाओं (नागार्जुनसागर) के लिए प्रदान की गई सीएलए की राशि 65.015 करोड़ रुपए थे। 2000–2001 के दौरान चार नई परियोजनाएं अर्थात् गुन्दालवागू, मड्डीगेड्डा, कणुपुर नहर और येराकलवा शुरू की गई और इन दस परियोजनाओं के लिए 95.02 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है।

- **अरुणाचल प्रदेश**

1999-2000 में 337 लघु सिंचाई (एमआई) स्कीमों के लिए 7.50 करोड़ रुपए की सीएलए प्रदान की गई जबकि 2000–2001 के दौरान 532 एमआई स्कीमों के लिए प्रदान की गई सीएलए की राशि 7.50 करोड़ रुपए थी।

- **असम**

1996-97 के दौरान असम की 7 सिंचाई परियोजनाओं अर्थात् पहुमारा, हवाईपुर लिफ्ट, रूपाही, धनश्री, चम्पामति, बोरोलिया और कोलोंगा के लिए 5.23 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। 1997–98 के दौरान तीन नई परियोजनाएं नामतः बोराडीकराई, बूढ़ी दिहंग तथा कोलोंगा बेसिन में एकीकृत सिंचाई स्कीम शामिल की गई। असम सरकार को 1997–98 के दौरान 10 परियोजनाओं में से सात परियोजनाओं (हवाईपुर लिफ्ट, रूपाही तथा कोलोंगा को छोड़कर) के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता के रूप में 12.40 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई। 1998–99 के दौरान 9 परियोजनाओं (कोलोंगा को छोड़कर) के लिए सीएलए के रूप में 13.950 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई।

1999-2000 के दौरान 8 परियोजनाओं (रूपाही और कोलोंगा को छोड़कर) के लिए सीएलए के रूप में 13.020 करोड़ रुपए की राशि और राज्य में 6 एमआई स्कीमों के लिए 1.52 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। वर्ष 2000–2001 के दौरान 6 वृहद/मध्यम परियोजनाओं (पहुमारा, हवाईपुर, रूपाही तथा कोलोंगा को छोड़कर) के लिए प्रदान की गई सीएलए की राशि 18.3 करोड़ रुपए थी जबकि 46 एमआई स्कीमों के लिए प्रदान की गई सीएलए की राशि 5.777 करोड़ रुपए थी।

- **बिहार**

1996-97 के दौरान तीन सिंचाई परियोजनाओं अर्थात् पश्चिमी कोसी, अप्पर किउल और दुर्गावती के लिए 13.50 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। 1997–98 के दौरान 10 नई परियोजनाओं अर्थात गुमानी, तोरई, बानसागर, लतरातू, कंसजोर, सोनुआ, सुरंगी, ओरिनी जलाशय, बिलासी जलाशय, तपकारा जलाशय स्कीम के लिए 14.04 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई।

तीन चालू परियोजनाओं अर्थात पश्चिमी कोसी, अप्पर किउल और दुर्गावती के लिए कोई सीएलए नहीं दी गई क्योंकि राज्य ने 1996–97 के दौरान उसे उपलब्ध कराई गई निधियों का प्रयोग नहीं किया था। 1998–99 के दौरान सोन आधुनिकीकरण नाम की एक नई परियोजना जोड़ी गई और 14 परियोजनाओं में से 12 सिंचाई परियोजनाओं (तोरई को छोड़कर) के लिए सीएलए के रूप में 47.825 करोड़ रुपए की राशि रुपए की गई। 10 परियोजनाओं (ओरिनी जलाशय, सोन आधुनिकीकरण और लतरातू को छोड़कर) के सम्बन्ध में 1999–2000 के दौरान प्रदान की गई सीएलए की राशि 144.04 करोड़ रुपए थी। वर्ष 2000–2001 के दौरान छः परियोजनाओं (पश्चिमी कोसी, अप्पर किउल, दुर्गावती, ओरिनी जलाशय, बिलासी जलाशय और सोन आधुनिकीकरण) के लिए 148.44 करोड़ रुपए की राशि की सीएलए प्रदान की गई।

- **छत्तीसगढ़**

सम्प्रति तीन परियोजनाएं अर्थात् हसदेव बांगो, शिवनाथ अपवर्तन तथा जोंक अपवर्तन राज्य में एआईबीपी के अधीन शामिल हैं। 2000–2001 के दौरान दो परियोजनाओं (हसदेव बांगो तथा शिवनाथ अपवर्तन) के लिए प्रदान की गई सीएलए की राशि 13.93 करोड़ रुपए थी। नवम्बर, 2000 से पूर्व राज्य में परियोजनाओं के लिए सीएलए मध्य प्रदेश द्वारा प्रदान की जाती थी।

- **गोवा**

1997-98 के दौरान गोवा की सलौली चरण I सिंचाई परियोजना के लिए सीएलए के रूप में 5.25 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। राज्य सरकार ने पूरी निधि का प्रयोग नहीं किया था और इसलिए 1998–99 के दौरान कोई सीएलए प्रदान नहीं की गई। परियोजना को वर्ष 1999–2000 में सीएलए के रूप में 3.50 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। 2000–2001 के दौरान तिल्लारी नामक एक नई परियोजना जोड़ दी गई और इन दो परियोजनाओं के लिए प्रदान की गई सीएलए की समग्र राशि 61.65 करोड़ रुपए थी।

- **गुजरात**

1996-97 में गुजरात की छः सिंचाई परियोजनाओं अर्थात् सरदार सरोवर, झज, मुक्तेश्वर, सिपू, हर्णव–II तथा उमरिया के लिए लगभग 74.773 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। 1997–98 के दौरान 5 नई परियोजनाएं अर्थात दमनगंगा, कर्जन, सुखी, देव तथा वतरक शामिल की गई और दो परियोजनाएं अर्थात हर्णव–II तथा उमरिया निकाल ली गईं क्योंकि ऐसी जानकारी दी गई थी ये परियोजनाएं राज्य सरकार द्वारा पूरी की जाएंगी। 1997–98 के दौरान इन नौ सिंचाई परियोजनाओं के लिए 196.90 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई 1998–99 के दौरान 8 परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार को 423.82 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई और 1997–98 के दौरान शामिल की गई देव सिंचाई परियोजना की बाबत पूरा हो जाने की सूचना प्राप्त हुई।

1999-2000 में इन आठ परियोजनाओं के लिए प्रदान की गई सीएलए की राशि 272.30 करोड़ रुपए थी। 2000–2001 के दौरान तीन नई परियोजनाएं अर्थात् आजी–IV, ओजत–II तथा ब्राह्मिणी–II शुरू की गईं और पांच परियोजनाओं (दो नई तथा दो पुरानी अर्थात सरकार सरोवर

और मुक्तेश्वर) के लिए वर्ष के दौरान प्रदान की गई सीएलए की कुल राशि 421.85 करोड़ रुपए थी।

- **हरियाणा**

1996-97 में हरियाणा की गुड़गांव नहर और जल संसाधन समेकन परियोजना (डब्लयूआरसीपी) के लिए 32.50 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। 1997–98 के दौरान हरियाणा की गुड़गांव नहर तथा जवाहर लाल नेहरु लिफ्ट सिंचाई परियोजना के लिए 12.00 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। बाद में डब्लयूआरसीपी को कार्यक्रम में से निकाल दिया गया क्योंकि उसमें अनेक परियोजनाएं शामिल थीं जबकि एआईबीपी विशिष्ट/स्वतंत्र परियोजना के लिए है। क्योंकि राज्य सरकार, उसे 1996–97 तथा 1997–98 के दौरान पहले से प्रदान की गई निधियों का पूर्ण प्रयोग किए जाने की सूचना नहीं दे सकी इसलिए हरियाणा को 1998–99 के दौरान राज्य की चालू अथवा किसी भी नई परियोजना के लिए कोई सीएलए प्रदान नहीं की गई। 1999–2000 में राज्य में एआईबीपी के अधीन दो चालू परियोजनाओं के लिए कोई सीएलए प्रदान नहीं की गई। 2000–2001 में को नई परियोजनाएं अर्थात् हथिनी कुण्ड (डब्ल्यूआरसीपी) और लोहारू लिफ्ट शुरू की गई जिसके लिए वर्ष के दौरान कोई सीएलए प्रदान नहीं की गई।

- **हिमाचल प्रदेश**

राज्य सरकार ने 1996–97 में कोई भी परियोजना शुरू नहीं की। अगले वर्ष राज्य सरकार द्वारा एक परियोजना अर्थात् शहनेहार सिंचाई परियोजना शुरू की गई और इस परियोजना के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को 1997–98 तथा 1998–99 में सीएलए के रूप में क्रमशः 6.50 करोड़ रुपए और 5.00 करोड़ रुपए की राशियां प्रदान की गईं। उसी परियोजना के लिए वर्ष 1999–2000 में प्रदान की गई सीएलए की राशि 8.625 करोड़ रुपए थी जबकि इसी वर्ष 42 एमआई स्कीमों के लए सीएलए की 2.422 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। 2000–2001 में दो नई परियोजनाएं अर्थात् सिधाता और चेंजर लिफ्ट शुरू की गई और इन तीन वृहद/मध्यम परियोजनाओं के लिए प्रदान की गई सीएलए की समग्र राशि 13.72 करोड़ रुपए थी और राज्य में 60 एमआई स्कीमों के लिए 4.295 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई।

- **जम्मू तथा काश्मीर**

1996-97 में तीन सिंचाई परियोजनाओं अर्थात मरवाल लिफ्ट, लेथपोरा लिफ्ट और कोइल लिफ्ट के लिए 1.30 करोड़ रुपए की राशि दी गई। लेकिन 1997–98 तथा 1998–99 के दौरान कोई सहायता नहीं दी गई। तथापि 1996–97 में दी गई सीएलए 1998–99 में रणवीर नहर को अन्तरित कर दी गई। वर्ष 1999–2000 में चार परियोजनाओं अर्थात् लेथपोरा लिफ्ट और तीन नई परियोजनाओं यथा रणबीर नहर का आधुनिकीकरण, प्रताप नहर का आधुनिकीकरण तथा कथुआ नहर का आधुनिकीकरण के लिए प्रदान की गई सीएलए की राशि 4.68 करोड़ रुपए थी। 2000–2001 में तीन नई परियोजनाएं अर्थात् राजपोरा लिफ्ट, त्राल लिफ्ट और इगोफी शामिल की गईं और इन सात परियोजनाओं के लिए सीएलए के रूप में 10.46 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई।

- **झारखण्ड**

राज्य में एआईबीपी के अधीन आठ परियोजनाएं शामिल हैं जो इस प्रकार हैं: गुमानी, तोरई, लतरातू, कंसजोर, सोनुआ, सुरंगी, तपकारा पुनर्वास स्कीम तथा बताने। पांच परियोजनाओं अर्थात्

गुमानी, लतरातू, कंसजोर, सुरंगी, तपकारी पुनर्वास स्कीम के लिए 2000–2001 के दौरान प्रदान की गई सीएलए की राशि 9.050 करोड़ रुपए थी। नवम्बर, 2000 से पूर्व झारखण्ड में परियोजनाओं के लिए सीएलए बिहार सरकार द्वारा प्रदान की जाती थी।

- **कर्नाटक**

पहले वर्ष अर्थात् 1996–97 के दौरान तीन सिंचाई परियोजनाओं अर्थात् अप्पर कृष्णा चरण I, मालाप्रभा तथा हिरेहल्ला के लिए 61.25 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। दूसरे वर्ष अर्थात् 1997–98 में दो नई परियोजनाएं अर्थात घटाप्रभा तथा करंजा जोड़ दी गईं और इन पांच परियोजनाओं के लिए राज्य को 90.5 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। 1998–99 के दौरान इन पांच परियोजनाओं के लिए 94.5 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई थी। 1999–2000 के दौरान इन पांच परियोजनाओं के लिए 157.14 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई तथा मालप्रभा को छोड़कर इन चार परियोजनाओं के लिए 171.00 करोड़ रुपए की सीएलए प्रदान की गई।

- **केरल**

1996-1997 तथा 1997–98 के दौरान कल्लाड़ा सिंचाई परियोजना के लिए क्रमशः 3.75 करोड़ रुपए तथा 15.00 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। 1998–99 तथा 1999–2000 के दौरान इस परियोजना तथा किसी नई स्कीम के लिए कोई सहायता नहीं दी गई क्योंकि राज्य सरकार ने पहले से प्रदान की गई राशि का प्रयोग नहीं किया था। वर्ष 2000–2001 में एक नई परियोजना अर्थात् मुवटटूपुझा शामिल की गई तथा इन दो परियोजनाओं के लिए 22.40 करोड़ रुपए की सीएलए प्रदान की गई।

- **मध्य प्रदेश**

तीन सिंचाई परियोजनाओं अर्थात् इन्दिरा सागर, बानसागर और अप्पर बानगंगा के लिए 1996–97 के दौरान 63.25 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। 1997–98 में दो नई परियोजनाएं अर्थात् हसदेव बैन्गो तथा शिवनाथ अपवर्तन जोड़ी गई और 1997–98 के दौरान इन पांच परियोजनाओं के लिए 114.50 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। 1998–99 में दो और नई परियोजनाएं अर्थात् राजघाट बांध तथा सिंध चरण II शामिल की गई और इस वर्ष के दौरान इन सात परियोजनाओं के लिए सीएलए के रूप में 90.75 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई।

वर्ष 1999–2000 में 9 परियोजनाओं के लिए प्रदान की गई सीएलए की राशि 105.845 करोड़ रुपए थी, जिनमें सिंध चरण I और जोंक अपवर्तन वर्ष 1999–2000 में शुरू की गई दो नई परियोजनाएं थीं। वर्ष 2000–2001 में चार नई परियोजनाएं अर्थात् माही, बरियारपुर एलबीसी, उर्मिल तथा बन्जार शामिल की गईं जिसके साथ परियोजनाओं की कुल संख्या 10 (हसदेव बांगो और शिवनाथ अपवर्तन छत्तीसगढ़ में जा मिली हैं) हो गई है और वर्ष में इन परियोजनाओं के लिए प्रदान की गई सीएलए की राशि 151.328 करोड़ रुपए थी।

- **महाराष्ट्र**

1996-97 में तीन सिंचाई परियोजनाओं अर्थात् गोसीखुर्द, सूर्या तथा वाघुर के लिए 14.00 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। 1997–98 में तीन और परियोजनाएं अर्थात् भीमा, अप्पर तापी

और अप्पर वर्धा जोड़ दी गई। 1997–98 में इन पांच सिंचाई परियोजनाओं (सूर्या को छोड़कर) के लिए 55.00 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। 1998–99 में एक और परियोजना अर्थात् वान नदी शामिल कर ली गई और वर्ष के दौरान उक्त चार परियोजनाओं (गोसीखुर्द, वाघुर, अप्पर तापी और वान) के लिए सीएलए के रूप में 50.86 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई।

1999-2000 के दौरान छः परियोजनाओं (वाघुर को छोड़कर) 49.875 करोड़ रुपए राशि की सीएलए प्रदान की गई। वर्ष 2000–2001 में तीन नई परियोजनाएं अर्थात् जयकवाड़ी, विष्णुपुरी तथा बहुला शामिल की गई और 10 में से 8 परियोजनाओं (भीमा और अप्पर तापी को छोड़कर) के लिए वर्ष के दौरान 97.02 करोड़ रुपए की राशि की सीएलए प्रदान की गई।

- **मणिपुर**

1996-97 में एक परियोजना अर्थात् खुगा सिंचाई परियोजना शुरू की गई थी जिसके लिए 4.30 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। 1997–98 में एक और परियोजना अर्थात् थोबाल जोड़ दी गई और इस वर्ष इन दो परियोजनाओं के सम्बन्ध में 26.00 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। 1998–99 में इन दो परियोजनाओं के लिए प्रदान की गई सीएलए की राशि 10.78 करोड़ रुपए थी। 1999–2000 में इन दो परियोजनाओं के लिए प्रदान की गई सीएलए की राशि 20.31 करोड़ रुपए थी जबकि इसी वर्ष 108 एमआई स्कीमों के लिए तदनुरूपी सीएलए की राशि 1.5 करोड़ रुपए थी। वर्ष 2000–2001 में 108 चालू एमआई स्कीमों के लिए 1.5 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई।

- **मेघालय**

वर्ष 1999–2000 में 39 एमआई स्कीमों के लिए प्रदान की गई सीएलए की राशि 2.6938 करोड़ रुपए थी। 2000–2001 में एक वृहद परियोजना अर्थात् रंगई घाटी के लिए प्रदान की गई सीएलए की राशि 1.28 करोड़ रुपए तथा 47 एमआई स्कीमों के लिए प्रदान की गई सीएलए की राशि 4.232 करोड़ रुपए थी।

- **मिजोरम**

1999-2000 में 10 एमआई स्कीमों के लिए प्रदान की गई राशि 1.433 करोड़ रुपए थी। वर्ष 2000–2001 के दौरान उपर्युक्त 10 चालू एमआई स्कीमों के लिए सीएलए के रूप में 1.433 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई।

- **नागालैण्ड**

वर्ष 1999–2000 में 468 एमआई स्कीमों के लिए सीएलए के रूप में 2.73 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई जबकि 2000–2001 के दौरान 468 स्कीमों के लिए प्रदान की गई राशि 5.00 करोड़ रुपए थी।

- **उड़ीसा**

1996-97 में 4 सिंचाई परियोजनाओं अर्थात् अप्पर इन्दरावती, रेंगाली, सुबर्णरेखा और आनन्दपुर बराज के लिए सीएलए के रूप में 48.45 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। 1997–98 में एक नई परियोजना अर्थात् अप्पर कोलाब सिंचाई परियोजना शामिल की गई और

उपर्युक्त पांच परियोजनाओं के सम्बन्ध में 85.0 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। बोलंगीर जिले को लाभ पहुंचाने वाली एक अन्य परियोजना अर्थात् टीटीगढ़ सिंचाई परियोजना 1998–99 में जोड़ दी गई और इस वर्ष के दौरान इन छः परियोजनाओं के लिए सीएलए के रूप में राज्य सरकार को 71.50 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई।

1999-2000 में दो नई परियोजनाएं अर्थात् लोअर इन्दिरा (केबीके) तथा लोअर सुकतेल (केबीके) जोड़ी गई और इन सात परियोजनाओं (टीटीगढ़ अवस्था II को छोड़कर) के लिए 81.35 करोड़ रुपए की सीएलए प्रदान की गई तथा केबीके जिलों में 16 एमआई स्कीमों के लिए 8.90 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। वर्ष 2000–2001 में 8 परियोजनाओं में से छः परियोजनाओं (सुबर्णरेखा और आनन्दपुर बराज को छोड़कर) के लिए 74.5 करोड़ रुपए की सीएलए प्रदान की गई तथा 23 एमआई स्कीमों के लिए प्रदान की गई सीएलए की राशि 25.82 करोड़ रुपए थी।

- **पंजाब**

1996-97 तथा 1997–98 के दौरान रणजीत सागर बांध परियोजना के लिए क्रमशः 67.50 करोड़ रुपए और 100.00 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। 1998–99 में कोई भी सहायता प्रदान नहीं की गई क्योंकि परियोजना के सिंचाई घटकों के सम्बन्ध में केन्द्र ने बराबर का योगदान पहले ही जमा करा दिया था। वर्ष 1999–2000 के दौरान परियोजना के लिए प्रदान की गई सीएलए की राशि 42.00 करोड़ रुपए थी। 2000–2001 में दो नई परियोजनाएं अर्थात् यूबीडीसी का रिमाडलिंग तथा तलवाड़ा से नीचे हिमाचल प्रदेश को सिंचाई जोड़ दी गई और इन तीन परियोजनाओं के लिए सीएलए के रूप में 55.62 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई।

- **राजस्थान**

1996-97 में राजस्थान की दो सिंचाई परियोजनाओं अर्थात् जैसमन्द (आधुनिकीकरण) और छापी के लिए 2.675 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। 1997–98 के दौरान दो और परियोजनाएं अर्थात् पंचाना और इंदिरा गांधी नहर परियोजना (आईजीएनपी) अवस्था II जोड़ दी गई और उक्त चार परियोजनाओं के सम्बन्ध में 42.00 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। 1998–99 में 8 परियोजनाओं को सीएलए के रूप में 140.05 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। 1998–99 में कार्यक्रम के अधीन शामिल की गई चार नई परियोजनाएं थीं––बिसालपुर, नर्मदा नहर, चौली तथा गम्भीरी।

1999-2000 में माही बजाज सागर नामक एक नई परियोजना जोड़ी गई और वर्ष में आठ परियोजनाओं (गंभीरी को छोड़कर) के लिए प्रदान की गई सीएलए की राशि 106.665 करोड़ रुपए थी। 2000–2001 में एक नई परियोजना अर्थात् गंगनहर का आधुनिकीकरण जोड़ी गई और 10 में से इन आठ परियोजनाओं (बिसालपुर और नर्मदा नहर को छोड़कर) के लिए 78.467 करोड़ रुपए की सीएलए प्रदान की गई।

- **त्रिपुरा**

1996-97 तथा 1997–98 के दौरान तीन परियोजनाओं अर्थात् मनु, गुम्ती और खोवाई के लिए क्रमशः 3.773 करोड़ रुपए आर 5.10 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। 1998–99 में इन

तीन परियोजनाओं के लिए प्रदत्त सीएलए की राशि 3.975 करोड़ रुपए थी। 1999–2000 में तीन परियोजनाओं के लिए सीएलए के रूप में 6.30 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई जबकि वर्ष के दौरान 628 एमआई स्कीमों के लिए प्रदान की गई सीएलए की राशि 28.353 करोड़ रुपए थी। वर्ष 2000–2001 के दौरान उक्त तीन परियोजनाओं के लिए सीएलए के रूप में 4.845 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई और इसी वर्ष के दौरान 335 एमआई स्कीमों के लिए प्रदान की गई राशि 9.038 करोड़ रुपए थी।

- **तमिलनाडु**

1996-97 में एक परियोजना अर्थात् डब्लयूआरसीपी के लिए प्रदान की गई सीएलए की राशि 20.00 करोड़ रुपए थी।

- **उत्तर प्रदेश**

1996-97 में छः सिंचाई परियोजनाओं अर्थात् शारदा सहायक, सरजू नहर, मध्य गंगा नहर सहित अप्पर गंगा, एच. के. दोआब राजघाट बांध तथा गुंटा नालाबांध में खरीफ चेनल उपलब्ध कराने के लिए 43.50 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। 1997–98 में राज्य ने दो नई परियोजनाएं अर्थात् बानसागर और लखवार व्यासी शामिल कर लीं और दो परियोजनाएं अर्थात् राजघाट बांध तथा गुंटा नाला बांध छोड़ दी गईं। 1997–98 में उपर्युक्त छः परियोजनाओं के लिए 78.00 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई। वर्ष 1998–99 में 5 परियोजनाओं (लखवार व्यासी को छोड़कर) के लिए सीएलए के रूप में 76.50 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई।

1999-2000 के दौरान तीन नई परियोजनाएं अर्थात् टिहरी, ज्ञानपुर पम्प नहर और पूर्वी गंगा नहर जोड़ दी गई और आठ परियोजनाओं के लिए 286.00 करोड़ रुपए की सीएलए प्रदान की गई। वर्ष 2000–2001 में एक नई परियोजना अर्थात् राजघाट नहर शामिल कर दी गई और 9 परियोजनाओं के सम्बन्ध में 315.9 करोड़ रुपए की सीएलए प्रदान की गई।

- **पश्चिम बंगाल**

1996-97 में तीस्ता बराज परियोजना के लिए 5.00 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। 1997–98 में दो नई परियोजनाएं अर्थात् कंगसाबती और डीवीसी प्रणाली जोड़ दी गई और इन तीन परियोजनाओं के लिए 20.00 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। तथापि 1998–99 में मात्र तीस्ता बराज परियोजना के लिए 10.00 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई।

वर्ष 1999–2000 में दो परियोजनाओं (तीस्ता बराज और कंगसाबती) के लिए प्रदान की गई सीएलए की राशि 25.00 करोड़ रुपए थी। वर्ष 2000–2001 में तीन नई परियोजनाएं अर्थात् तलको, पटलोई और हनुमाता शुरू की गई और इन पांच परियोजनाओं (डीवीसी की सिंचाई प्रणाली के आधुनिकीकरण और बराज को छोड़कर) के लिए सीएलए की 26.825 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है।

- **सिक्किम**

1999-2000 में 96 एमआई स्कीमों के लिए प्रदान की गई सीएलए की राशि 1.36 करोड़ रुपए थी।

1996–97 में प्रदान की गई सीएलए की राज्य–वार विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या	प्रदान की गई सीएलए (रुपए करोड़ों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	2	35.25
2.	असम	7	5.23
3.	बिहार	3	13.50
4.	गुजरात	6	74.77
5.	हरियाणा	2	32.50
6.	जम्मू तथा काश्मीर	3	1.30
7.	कर्नाटक	3	61.25
8.	केरल	1	3.75
9.	मध्य प्रदेश	3	63.25
10.	महाराष्ट्र	3	14.00
11.	मणिपुर	1	4.30

क्रम संख्या	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या	प्रदान की गई सीएलए (रुपए करोड़ों में)
12.	उड़ीसा	4	48.45
13.	पंजाब	1	67.50
14.	राजस्थान		2.67
15.	त्रिपुरा	3	3.77
16.	तमिलनाडु	1	20.00
17.	उत्तर प्रदेश	6	43.50
18.	पश्चिम बंगाल	1	5.00
	योग	**52**	**500.00**

1997–98 के दौरान प्रदान की गई सीएलए का राज्य–वार विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या	प्रदान की गई सीएलए की राशि (रुपए करोड़ों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	4	74.00

2.	असम	7	12.40
3.	बिहार	10	14.04
4.	गुजरात	9	99.20
5.	गोवा	1	5.25
6.	हिमाचल प्रदेश	1	6.50
7.	हरियाणा	1	12.00
8.	कर्नाटक	5	90.50
9.	केरल	1	15.00
10.	मध्य प्रदेश	5	114.50
11.	महाराष्ट्र	5	55.00
12.	मणिपुर	2	26.00
13.	उड़ीसा	5	85.00
14.	पंजाब	1	100.00

15.	राजस्थान	4	42.00
16.	त्रिपुरा	3	5.10
17.	उत्तर प्रदेश	6	78.00
18.	पश्चिम बंगाल	3	20.00
योग		**73**	**952.19**

1998-99 के दौरान प्रदान की गई सीएलए का राज्य–वार विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या	प्रदान की गई सीएलए की राशि (रुपए करोड़ों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	6	79.670
2.	असम	9	13.950
3.	बिहार	13	47.825
4.	गुजरात	8	423.820
5.	हिमाचल प्रदेश	1	5.000

6.	कर्नाटक	5	94.500
7.	मध्य प्रदेश	7	90.750
8.	महाराष्ट्र	4	50.860
9.	मणिपुर	2	10.780
10.	उड़ीसा	6	71.500
11.	राजस्थान	8	140.050
12.	त्रिपुरा	3	3.975
13.	उत्तर प्रदेश	5	76.500
14.	पश्चिम बंगाल	1	10.000
योग		**78**	**1119.18**

1999-2000 के दौरान प्रदान की गई सीएलए का राज्य–वार विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या	प्रदान की गई सीएलए की राशि (रुपए करोड़ों में)

		वृहद/ मध्यम	लघु	वृहद/ मध्यम	लघु	योग
1.	आन्ध्र प्रदेश	5	0	65.015	0	65.015
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	337	0	7.50	7.50
3.	असम	8	6	13.02	1.52	14.54
4.	बिहार	10	0	144.04	0	144.04
5.	गुजरात	8	0	272.70	0	272.70
6.	गोवा	1	0	3.50	0	3.50
7.	हिमाचल प्रदेश	1	42	8.625	2.422	11.047
8.	जम्मू तथा काश्मीर	4	0	4.68	0	4.68
9.	कर्नाटक	5	0	157.14	0	157.14
10.	मध्य प्रदेश	9	0	105.845	0	105.845

क्रम संख्या	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या		प्रदान की गई सीएलए की राशि (रुपए करोड़ों में)		
		वृहद / मध्यम	लघु	वृहद / मध्यम	लघु	योग
11.	महाराष्ट्र	6	0	49.875	0	49.875
12.	मणिपुर	2	108	20.31	1.5	21.81
13.	मेघालय	0	39	0	2.6938	2.6938
14.	मिजोरम	0	10	NIL	1.433	1.433
15.	उड़ीसा	7	16	81.35	8.9	90.25
16.	पंजाब	1	0	42.00	0	42.00
17.	राजस्थान	8	0	106.665	0	106.665
18.	त्रिपुरा	3	628	6.300	28.353	34.653
19.	उत्तर प्रदेश	8	0	286.00	0	286.00

क्रम संख्या	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या		प्रदान की गई सीएलए की राशि (रुपए करोड़ों में)		
		वृहद / मध्यम	लघु	वृहद / मध्यम	लघु	योग
20.	पश्चिम बंगाल	2	0	25.00	0	25.00
21.	नागालैण्ड	0	468	NIL	2.73	2.73
22.	सिक्किम	0	96	NIL	1.36	1.36
योग		**88**	**1750**	**1392.065**	**58.4118**	**1450.4768**

2000-2001 के दौरान प्रदान की गई सीएलए का राज्य–वार विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या		प्रदान की गई सीएलए की राशि (रुपए करोड़ों में)		
		वृहद/मध्यम	लघु	वृहद/मध्यम	लघु	योग
1.	आन्ध्र प्रदेश	10	0	95.02	0	95.02
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	532	0.00	7.50	7.50
3.	असम	6	46	18.30	5.777	24.077
4.	बिहार	6	0	148.44	0	148.44
5.	छत्तीसगढ़	2	0	13.93	0	13.93
6.	गोवा	2	0	61.65	0	61.65
7.	गुजरात	5	0	421.85	0	421.85
8.	हिमाचल प्रदेश	3	60	13.72	4.295	18.015
9.	जम्मू तथा काश्मीर	7	0	10.46	0	10.46
10.	झारखण्ड	5	0	9.05	0	9.05
11.	कर्नाटक	4	0	171.00	0	171.00
12.	केरल	2	0	22.40	0	22.40
13.	मध्य प्रदेश	10	0	151.328	0	151.328
14.	महाराष्ट्र	8	0	97.02	0	97.02
15.	मणिपुर	0	108	0	1.5	1.5

क्रम संख्या	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या		प्रदान की गई सीएलए की राशि (रुपए करोड़ों में)		
		वृहद/मध्यम	लघु	वृहद/मध्यम	लघु	योग
16.	मेघालय	1	47	1.28	4.232	5.512
17.	मिजोरम	0	10	0	1.433	1.433
18.	नागालैण्ड	0	468	0	5.00	5.00
19.	उड़ीसा	6	23	74.50	25.82	100.32
20.	पंजाब	3	0	55.62	0	55.62
21.	राजस्थान	8	0	78.467	0	78.467
22.	त्रिपुरा	3	335	4.845	9.038	13.883
23.	उत्तर प्रदेश	9	0	315.90	0	315.90
24.	उत्तरांचल	0	0	0.00	0	0.00
25.	पश्चिम बंगाल	5	0	26.825	0	26.825
	योग	**105**	**1629**	**1793.038**	**63.162**	**1856.20**

- *नवम्बर 2000 से पूर्व झारखण्ड और छत्तीसगढ़ की परियोजनाओं के लिए सीएलए बिहार और मध्य प्रदेश को प्रदान की गई थी।*

2001-2002 के दौरान प्रदान की गई सीएलए का राज्य–वार विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या		प्रदान की गई सीएलए की राशि (रुपए करोड़ों में)		
		वृहद/मध्यम	लघु	वृहद/मध्यम	लघु	योग
1.	आन्ध्र प्रदेश	4	0	281-66*	0.00	281-66*
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	385	—	15.00	15.00
3.	असम	6	5	13.416	1.105	14.521
4.	बिहार	2	0	3.42	0.00	3.42
5.	छत्तीसगढ़	3	0	48.20	0.00	48.20
6.	गोवा	2	0	58.00	0.00	58.00
7.	गुजरात	3	0	581-69*	0.00	581-69*
8.	हिमाचल प्रदेश	1	0	3.244	0.00	3.244
9.	जम्मू तथा काश्मीर	9	0	11.07	0.00	11.07
10.	झारखण्ड	3	0	10.82	0.00	10.82

क्रम संख्या	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या		प्रदान की गई सीएलए की राशि (रुपए करोड़ों में)		
		वृहद/मध्यम	लघु	वृहद/मध्यम	लघु	योग
11.	कर्नाटक	7	0	492.50	0.00	492.50
12.	केरल	1	0	11.275	0.00	11.275
13.	मध्य प्रदेश	6	0	215-41*	0.00	215-41*
14.	महाराष्ट्र	4	0	39.10	0.00	39.10
15.	मणिपुर	2	0	9.36	0.00	9.36
16.	मेघालय	1	34	1.22	3.25	4.47
17.	मिजोरम	0	7	0.00	2.00	2.00
18.	नागालैण्ड	0	74	0.00	5.00	5.00
19.	उड़ीसा	9	0	168-475*	0.00	168-475*
20.	पंजाब	3	0	113.69	0.00	113.69

क्रम संख्या	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या		प्रदान की गई सीएलए की राशि (रुपए करोड़ों में)		
		वृहद/मध्यम	लघु	वृहद/मध्यम	लघु	योग
21.	राजस्थान	7	0	96.315	0.00	96.315
22.	त्रिपुरा	3	335	2.063	19.00	21.063
23.	उत्तर प्रदेश	8	0	354-69*	0.00	354-69*
24.	पश्चिम बंगाल	5	0	38.608	0.00	38.608
25.	सिक्किम	–	76	–	2.40	2.40
	योग	89	916	2554-226*	47.755	2601-981*

- **फास्ट ट्रैक कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदान की गई 472.86 करोड़ रुपए की राशि शामिल है**

@ 1996–97 के दौरान प्रदान की गई सीएलए 1998–99 में रणबीर नहर को अन्तरित कर दी गई

- अन्तर्राज्यीय परियोजना सी–पूरी हो चुकी डी–स्थगित

टिप्पणीः 2003–04 में मध्य प्रदेश को प्रदान की गई सीएलए में 0.204 करोड़ रुपए की अधिक राशि शामिल है जो कि बन्जर परियोजना के सम्बन्ध में काट ली गई है।

* 2002–03 के दौरान सुवर्णरेखा को प्रदान की गई सीएलए 2003–04 में तीस्टा सेतु को अन्तरित कर दी गई।